न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्या: 65 / 2018 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2018 / 00087

विद्यादेवी पत्नि श्री गुरदयाल सिंह जाति जाट निवासी चक–4 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. ममता पत्नि स्व. श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जाट निवासी जी–24, सिविल लाईन, श्रीगंगानगर।
2. खुशी पुत्री स्व. श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जाट निवासी जी–24, सिविल लाईन, श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 11.08.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 23.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– तहसील श्रीगंगानगर के चक–4 ई छोटी में 1.704 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज थी जिसमें से 0.568 हैक्टेयर नहरी भूमि को अपीलार्थी के पुत्र कुलविन्द्र सिंह के नाम जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.09.2013 को बेच दी। अपीलार्थी के पुत्र कुलविन्द्र सिंह की मृत्यु उपरांत उक्त 0.568 हैक्टेयर भूमि अपीलांट विद्यादेवी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ममता पत्नि स्व. कुलविन्द्र सिंह तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खुशी पुत्री स्व. कुलविन्द्र सिंह के नाम इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 दर्ज की गई। तत्पश्चात् इन्तकाल संख्या 286 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर में ममता पत्नि स्व. कुलविन्द्र सिंह वगैरह ने अपील दायर की। अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए उक्त 0.568 हैक्टयर नहरी भूमि ममता पत्नि स्व. कुलविन्द्र सिंह एवं खुशी पुत्री स्व. कुलविन्द्र सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश पारित किए जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील दायर की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री सुरेश मोहता ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम वार्ड चक 4 ई छोटी में अपीलार्थी की 0.568 हैक्टेयर भूमि में से 0.568 हैक्टेयर नहरी भूमि अपीलार्थी के पुत्र कुलविन्द्र सिंह ने धोखे से अपने नाम बेयनामा करवा ली। कुलविन्द्र सिंह के देहान्त के बाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ममता आदि ने आदेश तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर दिनांक 10.08.2018 के विरुद्ध विरासतन इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 को निरस्त करने की अपील पेश की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिवत आधार पर आदेश 23.08.2018 पारित कर इन्तकाल संख्या 286 निरस्त कर दिया। कुलविन्द्र सिंह के देहान्त के पश्चात उसके द्वारा अर्जित की गई सम्पत्तियों में उसके विधिक वारिसानों का बराबर हिस्सा बनता है चूंकि अपीलार्थी कुलविन्द्र सिंह की माता है अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विरासतन इन्तकाल पुनः बहाल करने के आदेश फरमावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने बहस के दौरान कथन किया कि जिस सम्पति का विवाद है वह विद्यादेवी के नाम थी जिसे विद्यादेवी ने कुलविन्द्र सिंह को बाजार दर पर बेच दी। अभिभाषक रस्पोडेन्ट ने अखबार सीमा संदेश दिनांक 24.05.2015 का हवाला देते हुए कथन किया कि विद्यादेवी ने अपने पुत्र कुलविन्द्र सिंह एवं कुलविन्द्र की बहन दविन्द्र कौर को अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल करने की विज्ञप्ति जारी की अर्थात पुत्र को सम्पति से बेदखल किया हुआ है। कुलविन्द्र सिंह की मृत्यु के उपरात अपीलार्थी द्वारा अपने सम्पति से बेदखल किये हुए पुत्र की सम्पति में हक मांगना न्यायोचित नहीं है एवं प्रार्थिया ने अपनी बेयनामे में भी उल्लेखित किया है कि आज के बाद मिकरा एवं मिकरा के किसी अन्य वारिसान का उक्त बेयनामा भूमि में कोई हक व ताल्लुक वास्ता नहीं रहा है। अतः भविष्य में मिकरा एवं मिकरा का कोई वारिस बेयनामा भूमि बाबत कोई दावा करता है तो वह सरासर झूठा होगा। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया है।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त 0.568 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 ई छोटी में स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी के पुत्र स्व. कुलविन्द्र सिंह को जरिये बेयनामा दिनांक 06.09.2013 को बेच दी थी। तदुपरांत अपीलार्थी के पुत्र कुलविन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त विवादित भूमि तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा विवादित इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 विद्यादेवी, ममता एवं खुशी के नाम दर्ज कर दी गई. चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्र कुलविन्द्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सिंह को चल व अचल सम्पति से बेदखल करने की कार्यवाही जरिये अखबार सागा की जा चुकी हैं एवं उक्त विवादित सम्पति अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्र को जरिये बैयनामा 06.09.2013 को बेची जा चुकी है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 उचित है। अतः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर